केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50)

बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 84

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक – 25.01.17

विषयः– वित्तीय वर्ष–2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन केन्द्रांश मद में ₹6,20,00,000 / –(छः करोड़ बीस लाख रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2– विभागीय पत्रांक–08 दिनांक–29.04.2016 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000 / – (पांच करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000 / – (पांच करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹10,00,00,000 / – (दस करोड़ रू0) मात्र एवं विभागीय पत्रांक–55 दिनांक–08.11.2016 द्वारा केन्द्रांश मद में ₹1,00,00,000 / –(एक करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹1,00,00,000 / –(एक करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹2,00,00,000 / –(दो करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। इसी क्रम के केन्द्र सरकार के पत्रांक–11014 / 23 / 2012–पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक–14.09.2016 द्वारा वर्ष–2016–17 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 (केन्द्र प्रायोजित योजना(50:50) के तहत राहत अनुदान के लिए केन्द्रांश मद में कुल ₹720.00 लाख (सात करोड़ बीस लाख रू0) मात्र विमुक्त की गयी है। जिसके आलोक में द्वितीय अनुपूरक कम माध्यम से उपलब्ध बजट उपबन्ध एवं योजना उद्व्यय के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹6,20,00,000 / –(छः करोड़ बीस लाख रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को मांग के आलोक में निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5– वे अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कर, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और / या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान करेंगें एवं पीडित / पीडिता को (i) जागरूकता, (ii) प्रचार–प्रसार, (iii) वैधिक सहायता, (iv) यात्रा भत्ता, (v) दैनिक भत्ता, (vi) पीड़ित को राहत और पुनर्वास, (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7– केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0218–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु

8- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

9- इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

10- इस राशि की स्वीकृति आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015- के पृ0-37/टि0 पर प्राप्त है।

11- इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से ,

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015-- 84 पटना, दिनांक- 25.01.17

प्रतिलिपि : 1-वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक (कम्प्यूटर), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015- 84 पटना, दिनांक- 25.01.17

प्रतिलिपि : सभी सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02-12-13/2015- 84 पटना, दिनांक- 25.01.17

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्रांक-11014/23/2012-पी0सी0आर0 (डेस्क) दिनांक-14.09.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।